



2026:AHC:71113

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 7486 वर्ष 2026

संजय कुमार पटेल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अथर्व दीक्षित, रोशनी मुराद

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 80

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या-4, वाराणसी की अदालत द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-453 वर्ष 2023 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय पटेल) के न्यायालय द्वारा पारित सत्र परीक्षण संख्या-0105 वर्ष 2023 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), थाना-बड़ागांव, जिला वाराणसी के न्यायालय में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.11.2025 को रद्द करने के लिए धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन को दायर की गई है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या-04, वाराणसी के न्यायालय में लंबित है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक धारा 302, 328 और 201 भ०द०वि०, थाना-बड़ागांव, जिला वाराणसी के तहत केस अपराध संख्या-0105 वर्ष 2023 में एकमात्र आरोपी है। वह उपरोक्त मामले के अपराध के सिलसिले में जेल में बंद है। अ०सा०-1 विचारण न्यायालय में पेश हुआ और आवेदक के अधिवक्ता ने उससे जिरह की। अ०सा०-2, रामदेई, जो तथ्य का गवाह था, 15.11.2025 को विचारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय में पेश हुआ, लेकिन पेशेवर जुड़ाव के कारण आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकी। आवेदक के अधिवक्ता एक अन्य मामले में जिरह करने व्यस्त थे। नतीजतन, उक्त तिथि को अ०सा०-2, रामदेई की जिरह नहीं की जा सकी। चूक जानबूझकर नहीं की गई थी। आवेदक के अधिवक्ता ने उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाह अ०सा०-2, रामदेई को वापस बुलाने के लिए दिनांक 20.11.2025 को एक आवेदन दायर किया, लेकिन विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.11.2025 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया।

4. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 20.11.2025 के आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा गलत तरीके से और अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है क्योंकि उपरोक्त गवाह की जिरह न तो जानबूझकर की गई थी और न ही मुकदमे में देरी करने के किसी इरादे से थी। आगे यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक को उपरोक्त गवाह/अ०सा०-2, रामदेई से जिरह करने का एक और अवसर दिया जाए और आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह किया जाता है कि यदि उपरोक्त गवाह जिरह के लिए विचारण न्यायालय में पेश होता है तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आगे स्थगन की मांग नहीं की जाएगी।

5. ततस्य विपरीत, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दायर दिनांक 20.11.2025 का आवेदन गलत था और इसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2025 के आदेश द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया था।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामले की तथ्यात्मक चर्चा में जाने से पहले, विवाद से संबंधित कानूनी स्थिति पर चर्चा करना आवश्यक है। धारा 311 द०प्र०स० को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

" धारा 311. भौतिक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति। कोई भी न्यायालय, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में



बुला सकता है, या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, हालांकि उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या। पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और उसकी पुनः जांच करना; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और जांच करेगा या वापस बुलाएगा और पुनः जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

8. धारा 311 द०प्र०स० के विश्लेषण पर, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 311 द०प्र०स० अदालत को निम्नलिखित शक्तियों से तैस करती है। धारा के पहले भाग के अनुसार, न्यायालय शक्ति का प्रयोग कर सकता है: -

- "(1) किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने के लिए, या
- (2) उपस्थित किसी भी व्यक्ति की जांच करने के लिए, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या,
- (3) पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से जांचने के लिए।

दूसरा भाग, जो अनिवार्य है और न्यायालय पर एक दायित्व लगाता है: -

- (1) बुलाने और जांच करने के लिए, या
- (2) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और फिर से जांच करना, यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

9. राजा राम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य, ए.आई.आर. 2013(एस.सी.) 3081 में, यह माना गया है कि इसलिए यह अनिवार्य है कि धारा 311 द०प्र०स० के आह्वान और किसी विशेष मामले में इसके आवेदन का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, केवल उक्त प्रावधानों के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, मामले के न्यायसंगत निर्णय को प्राप्त करने के लिए। उक्त प्रावधानों के तहत निहित शक्ति किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच करने के उद्देश्य से संहिता के तहत शुरू की गई किसी भी जांच या परीक्षण में किसी भी स्तर पर किसी भी अदालत को उपलब्ध कराई जाती है, भले ही उसे गवाह के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप में नहीं बुलाया गया हो या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को फिर से बुलाया या फिर से जांच की जा सके। जहां तक पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से जांच करने का सवाल है, अदालत को आवश्यक रूप से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की पुनः कॉल और पुनः परीक्षा, मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होती है।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि अ०सा०-2, रामदेई की जिरह मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है क्योंकि वह तथ्य की गवाह है।

11. प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय में, उपरोक्त गवाह की जिरह के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता को एक और अंतिम अवसर दिया जा सकता है।

12. हालांकि, यह देखा गया है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.11.2025 का आक्षेपित आदेश पारित करके कोई अवैधता नहीं की है, लेकिन न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के हित में, आवेदक को उपरोक्त गवाह से जिरह करने का एक और और अंतिम अवसर दिया जाता है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत आवेदन की अनुमति दी जाती है और उपरोक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 20.11.2025 को 5,000/- रुपये की लागत के भुगतान के अधीन रद्द/अपास्त किया जाता है, जिसे आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर रामदेई के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष जमा किया जाएगा। इस तरह की जमा राशि पर, आवेदक द्वारा उपरोक्त गवाह/अ०सा०-2, रामदेई को वापस बुलाने के लिए एक नया आवेदन दायर किया जाएगा, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपने पहले के आदेश दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से प्रभावित हुए बिना विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा और उपरोक्त गवाह को आगे की जिरह के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार जमा की गई राशि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होने पर उपरोक्त गवाह, अ०सा०-2, रामदेई को सौंप दी जाएगी।



14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अ०सा०-2, रामदेई की जिरह के लिए अंतिम अवसर होगा, और आवेदक को किसी भी तरह से कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा।

15. विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख के समक्ष उपस्थित होने पर उपरोक्त गवाह/अ०सा०-2, रामदेई की जिरह में विफलता के मामले में, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

मार्च 30, 2026

राधिका

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)